



2026:AHC:180917

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5770 वर्ष 2026

सुशांत वर्मा

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : विजय प्रताप सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, पार्थ शर्मा, संजय विक्रम सिंह

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शुक्ला, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय विक्रम सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 352 वर्ष 2025, धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 356(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना सिकंदरा राव, जिला हाथरस में अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक और अन्य सह-आरोपियों पर लगाए गए आरोप, शिकायतकर्ता को दिखाए गए एगमार्क के जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों और प्रकाश देसी घी की अशुद्धता और दुर्गंध से संबंधित लगभग 30 लाख रुपये के घोटाले से जुड़े हैं। प्राथमिकी में विशेष रूप से आरोप लगाया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता को 5,39,154 रुपये का भुगतान नहीं किया, हालांकि उसने शिकायतकर्ता की फर्म से देसी घी खरीदा था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने की कोशिश के बावजूद उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना 10.08.2024 को घटी बताई गई है, जबकि प्राथमिकी एक वर्ष से अधिक समय बाद 14.08.2025 को माननीय मजिस्ट्रेट के निर्देश पर धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी का शिकायतकर्ता द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एक विशुद्ध व्यापारिक विवाद को आपराधिक रंग दिया गया है, जबकि आवेदक शिकायतकर्ता की फर्म से प्रकाश देसी घी का मात्र वितरक था। आवेदक ने शिकायतकर्ता को एक बड़ी राशि का भुगतान किया था; आवेदक और शिकायतकर्ता की फर्म के बीच हुए लेन-देन को दर्शाने वाले बैंक स्टेटमेंट की एक प्रति हलफनामे के अनुलग्नक-7 के रूप में संलग्न की गई है, जिसे शिकायतकर्ता ने अपने प्रति-हलफनामे में अस्वीकार नहीं किया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक को प्रकाश देसी घी की घटिया गुणवत्ता के संबंध में अन्य शिकायतें प्राप्त हुईं और शिकायतकर्ता ने उत्पाद वापस लेने पर सहमति व्यक्त की तथा आवेदक को बकाया राशि का भुगतान करने का वादा किया। आवेदक की राशि हड़पने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई। आगे यह तर्क दिया जाता है कि घटिया देसी घी की आपूर्ति शिकायतकर्ता द्वारा बृज एक्टिव ग्रुप के ट्रेडमार्क और लोगो के तहत की गई थी, जो शिकायतकर्ता की फर्म से संबंधित है। आवेदक के विरुद्ध निर्माण, आपूर्ति या किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ में हेराफेरी का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक केवल एक व्यापारी/व्यापारिक सहयोगी है और यदि कोई विवाद है, तो वह व्यापारिक लेन-देन से संबंधित है। 5,39,154/- रुपये के भुगतान न होने का आरोप पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है और व्यापारिक निस्तारण से संबंधित है। आवेदक घटिया देसी घी के निर्माण, लेबलिंग या लाइसेंसिंग में कभी भी शामिल नहीं था। वर्तमान आवेदक के विरुद्ध धमकी का झूठा आरोप लगाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, जालसाजी आदि में शामिल नहीं था। शिकायतकर्ता विभिन्न व्यावसायिक सहयोगियों को ब्लैकमेल करने की आदी है और हिसाब बराबर करने के लिए झूठी प्राथमिकी दर्ज कराती थी। उसने आर.के. एंटरप्राइजेज के मालिक राजेश कुमार के खिलाफ प्रकरण अपराध संख्या 95 वर्ष 2025 के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक अभिलेख नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण अपराध संख्या 95 वर्ष 2025 की प्राथमिकी में विवेचना अधिकारी द्वारा 10.05.2025 को आरोपपत्र दाखिल की गई थी और संबंधित न्यायालय ने 28.07.2025 के आदेश द्वारा अपराध का संज्ञान लिया था, इसलिए इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने का आदी है। यह भी कहा गया है कि आवेदक अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलीभगत कर रहा है और शिकायतकर्ता को 5,39,154 रुपये का भुगतान आवेदक द्वारा नहीं किया गया है। आवेदक ने जाली दस्तावेज बनाए हैं और उसकी अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकृत की जानी चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया आरोपों से आवेदक के खिलाफ प्रकरण बनता है।

7. मैंने दोनों पक्षों तर्क सुने और अभिलेख का अध्ययन किया।

8. प्राथमिकी माननीय मजिस्ट्रेट के निर्देश पर धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज की गई थी। आरोपों के अनुसार, आवेदक को शिकायतकर्ता को 5,39,154/- रुपये का भुगतान करना है। प्राथमिकी लंबे समय बाद दर्ज की गई, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यावसायिक विवाद को आपराधिक न्यायालयों में घसीटा गया है। आवेदक का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। शिकायतकर्ता ने अपने प्रति-हलफनामे में इस बात से इनकार नहीं किया है कि उसे अपनी फर्म के बैंक खाते में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। दोनों पक्षों का आरोप है कि उनके बकाया एक-दूसरे के विरुद्ध लंबित हैं। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस प्रकरण में आवेदक से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

9. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और एक अन्य , (2020) 5 एससीसी 1 में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने (जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना शामिल है), न्याय से भागने (जैसे देश छोड़कर भाग जाना) आदि की संभावना पर विचार करना होगा। न्यायालय ने आगे यह भी माना है कि अग्रिम जमानत देने या न देने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे कारकों से निर्देशित होना चाहिए। जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रकरण है।

10. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो जाती है, या प्रकरण जघन्य अपराध का हो, या जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो, या आरोपी के फरार होने की आशंका हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी वैध है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर करना आवश्यक है। यदि गिरफ्तारी को नियमित प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपार क्षति पहुंच सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन का उल्लंघन करेगा, और वास्तव में उसने पूरी विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई दायित्व नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

12. तदनुसार, अग्रिम जमानत याचिका निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** की जाती है:-

- (i) उपर्युक्त प्रकरण में आवेदक- **सुशांत वर्मा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह 50,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित थाना के थाना प्रभारी या न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करे;
- (ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार विवेचना अधिकारी को सूचना करेगा;
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और
- (iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

13. किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग होने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

31 अगस्त, 2026

नितेन्द्र